रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1982 (फाल्गुन 22, 1903)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1982 (PHALGUNA 22, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that if may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1-भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किय गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	299
भाग I--खण्ड 2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	333
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	5
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	307
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनायें	*
भाग II--खण्ड 3(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	3073
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें और नोटिस	107
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	87
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनायें जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	893
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	69
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	299
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	333
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	307
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3 (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3073
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	107
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	87
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	893
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	69
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 1982

संकल्प

सं. डब्ल्यू. 11036/13/75-अनुदान—भारत सरकार यह समझती है कि स्वास्थ्य मंत्री की धर्मार्थ निधि (जिसे बाद में स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि का नाम दे दिया था) जिसका गठन संकटग्रस्त चिकित्सा संस्थाओं और इलाज की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को मदद देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन 1951 में किया गया था, उसका संचालन अब भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाये वरन् उसे भारतीय क्षय-रोग एसोसिएशन को हस्तांतरित कर दिया जाये ताकि अन्ततः इसका उपयोग लाला राम स्वरूप क्षय-रोग अस्पताल, महरौली, दिल्ली द्वारा किया जा सके जिसके लिए इस निधि में दान प्राप्त किए गए थे। अतः, भारत सरकार ने इस निधि को समाप्त करने का निश्चय किया है। इस निधि के खाते का शेष धन भारतीय क्षय-रोग एसोसिएशन, नई दिल्ली को हस्तांतरित हो चुका समझा जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

आर. आर. गुप्ता
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 1982

संकल्प

सं. 5-63/81-खाद (बायो गैस)—देश में बायो-गैस के उत्पादन की व्यापक क्षमता को काम में लाने तथा जैव खाद और ईंधन की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए इसका व्यापक प्रयोग करने के विचार से सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना में बायो-गैस के विकास से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है। परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था की गई है :—

1. लाभानुभोगियों को राजसहायता;
2. "टर्न-की" कार्यों के लिए सामूहिक निकायों/पंजीकृत समितियों को शुल्क;
3. ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन;
4. राज्यों को संगठनात्मक सहायता; तथा
5. प्रशिक्षण सहयोग।

2. 50.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की इस परियोजना में छठी योजना अवधि के दौरान देश में बायो-गैस की 4 लाख इकाइयों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है।

3. बायो-गैस विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा निर्देश देने हेतु सरकार ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय स्थाई समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार है :—

4. **संरचना**

1.	सचिव (कृषि और सहकारिता) कृषि मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय	सदस्य
3.	सचिव ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
7.	सलाहकार (कृषि) योजना आयोग	सदस्य
8.	वित्तीय सलाहकार कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव (एफ. एण्ड एम.) कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
10.	आयुक्त (एफ. पी.) कृषि और सहकारिता विभाग	संयोजक

5. समिति के कार्य

1. देश में बायो-गैस के विकास के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करना तथा प्रतिपादित करना।
2. देश में सामान्य तौर पर बायो-गैस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निदेश देना, मार्गदर्शन करना तथा उनका निरीक्षण करना और बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के विभिन्न घटकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

3. बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना की नीतियों कार्यप्रणालियों, कार्यक्रम की सूची, सहायता के प्रतिमान, आदि में यदि कोई संयोजन या संशोधन आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

4. समय-समय पर परियोजना की कार्यवाही/प्रगति का जायजा लेना।

5. बायो-गैस के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करने हेतु उपाय सुझाना।

6. सरकार को ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देना जिन पर समिति द्वारा विचार किया जाना हो अथवा जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए इसके पास भेजा हो।

6. शक्तियां

समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :—

(क) बायो-गैस के विकास के लिए बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना अथवा अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना/आंकड़े/रिपोर्ट मांग सकती है।

(ख) मुख्य समिति द्वारा भेजे गए विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में निरीक्षण, जांच और सिफारिशें करने के लिए उप समितियां या तकनीकी ग्रुप या कोई अन्य समितियां गठित करना।

(ग) इसे यह भी अधिकार होगा कि जब भी किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझा जाए यह सदस्यों को सहयोजित कर सकती है या व्यक्तियों, विभिन्न विभागों, अथवा विशेष हितों, तकनीकी विकासों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकती है।

(घ) अपनी बैठकों अथवा इसके द्वारा गठित उपसमितियों, ग्रुपों, आदि की बैठकों के स्थान, तारीख तथा इनकी अवधि के बारे में निर्णय लेगी।

(ङ) समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा इसे समाप्त, प्रतिस्थापित या बदल नहीं दिया जाता।

7. कृषि और सहकारिता विभाग समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी. एस. विद्यार्थी
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1982

संकल्प

सं. 2-33/81-हि. पी.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री — अध्यक्ष

2. कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) — उपाध्यक्ष

3. कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) — उपाध्यक्ष

4. कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण उप-मंत्री (कु. कमला कुमारी) — सदस्य

लोकसभा सदस्य

5. श्री हाकम सिंह — सदस्य

6. श्री राम सरूप राम — सदस्य

राज्य सभा सदस्य

7. श्री के. एन. जोशी — सदस्य

8. श्री हुकम देव नारायण यादव — सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

9. श्री नाथू राम मिर्धा

10. श्री नरसिंह भक्दाना

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

11. अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद (पदेन)

हिन्दी स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि

12. डा. राज किशोर पांडेय, हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि)

13. श्री शंकर राव लोंढे, सचिव, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।

14. श्री सुधाकर पाण्डेय, प्रधान मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

गैर-सरकारी सदस्य

15. डा. महीप सिंह, हिन्दी विभाग, खालसा महाविद्यालय, दिल्ली।

16. डा. मन्नू लाल यदु, हिन्दी विभाग, रायपुर विश्वविद्यालय, टूरी हटरी, रायपुर, मध्य प्रदेश।

17. श्री यतीन्द्र भटनागर, ब्यूरो प्रमुख, "हिन्दुस्तान"।

18. श्री आनंद जैन, संपादक, "नवभारत टाइम्स"।

19. श्री जयवंशी झा शास्त्री, मुख्य उप संपादक, "हिन्दुस्तान समाचार"।

20. डा. एन. रमण नायर, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कोचिन विश्वविद्यालय, कोचिन-682022।

21. श्री रमा नाथ शुक्ल, अवकाश प्राप्त अधिकारी, वित्त मंत्रालय, इलाहाबाद।

22. श्री आशा राम, प्रोफेसर, पौलिटिकल साइंस विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय।

सरकारी सदस्य

23. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग।
24. सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग।
25. सचिव, खाद्य विभाग।
26. सचिव, राजभाषा विभाग।
27. वन महानिरीक्षक, पदेन अपर सचिव।
28. अपर सचिव, खाद्य विभाग।
29. संयुक्त सचिव (प्रशासन) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग।
30. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।
31. संयुक्त सचिव (प्र.) कृषि और सहकारिता विभाग सदस्य-सचिव

समिति का कार्य

समिति कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों, कम्पनियों निगमों आदि के काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग तथा उससे सम्बन्धित अन्य प्रारम्भिक मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत सलाह देगी।

समिति के सदस्यों का कार्य-काल सामान्यतः समिति के गठन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा, बशर्ते कि :

(क) जो सदस्य संसद सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ रहें, जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्य-काल की शेष अवधि तक के लिये ही सदस्य रहेगा।

समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को निमन्त्रित कर सकती है।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

यह इस मंत्रालय के इस सम्बन्ध में सभी पूर्व संकल्पों का अधिक्रमण करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति इन सभी को प्रेषित की जाए—समस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासन, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत का नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मूल्य बोर्ड और लेखा अधिकारी (कृषि मंत्रालय) कृषि मंत्रालय के सभी कार्यालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एम. आर. भारद्वाज
संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णरोजगार की नीति के बारे में समिति के गठन से संबंधित संकल्प में संशोधन

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1982

संकल्प में संशोधन

सं. एम. 25011/14/81-आर. एम. ई.—भारत सरकार ने अपने 28 दिसम्बर, 1981 के समसंख्यक संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है।

इनके स्थान पर	**निम्नलिखित को रखा जाए**
3. अपर सचिव, श्रम मंत्रालय—महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय	

आदेश:—(1) आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

महाराज कृष्ण कांव
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1982

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा. शै. आ. प्र. परि.) नई दिल्ली के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कार्य दल का गठन।

सं. एफ. 1-73/81-स्कूल-4—लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) ने अपनी 48वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि रा. शै. अ. प्र. परि. को हमारे संघीय जनवादी गणराज्य की शैक्षिक प्रणाली में कारगर ढंग से सहायता करने में गतिशील, सृजनात्मक और राष्ट्रीय रूप से उपयोगी भूमिका निभाने के लिए उसका पुनर्गठन करने की तात्कालिक समस्या पर एक निर्धारित अवधि के अन्दर विचार करने के वास्ते शीघ्र ही एक कार्य दल का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि तथा कुछ विख्यात शिक्षाविद शामिल हों।

2. लोक लेखा समिति की इस सिफारिश के अनुसरण में भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने एक कार्य दल का गठन करने का निर्णय किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के परिषद की संस्था ज्ञापन पत्र में निर्धारित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों के संदर्भ में परिषद द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन।

(2) पिछली समितियों, विशेष रूप से उन समितियों द्वारा जिनका लोक लेखा समिति ने उल्लेख किया है, की गई सिफारिशों की समीक्षा करना, ताकि परिषद के भावी विकास के लिए उनकी प्रासंगिकता तथा महत्व निर्धारित किया जा सके।

(3) परिषद् की अनुकूलतम संगठनात्मक संरचना के बारे में सुझाव देना, ताकि वह स्कूल शिक्षा के, विशेष रूप से इसकी कार्य कुशलता और उत्पादकता में सुधार करने की दृष्टि से, भावी शैक्षिक विकास में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके।

(4) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद के लिए समग्र प्रबन्ध और निर्णयकर्ता तंत्रों तथा प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सुझाव देना।

3. कार्य दल का गठन निम्नलिखित होगा :—

(1) डा. (श्रीमती) माधुरी आर. शाह, अध्यक्ष
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

(2) डा. वी. जी. कुलकर्णी, सदस्य
परियोजना निदेशक,
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान,
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र,
बम्बई।

(3) प्रो. सत्य भूषण, सदस्य
कुलपति,
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू तवी।

(4) श्री पी. के. उमाशंकर, सदस्य
शिक्षा आयुक्त,
केरल सरकार,
त्रिवेन्द्रम।

(5) डा. शिव के. मित्रा, सदस्य
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान,
और प्रशिक्षण परिषद।

(6) संयुक्त सचिव (स्कूल) सदस्य-सचिव
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग)।

4. कार्य दल कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय करेगा। कार्य दल को अपना कार्य शुरू करने की तारीख से छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

5. रा. शै. अ. प्र. परि. कार्य दल के लिए सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था करेगा। कार्य दल के कार्य के सम्बन्ध में किया गया खर्चा रा. शै. अ. प्र. परि. के बजट में से वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

एस. सत्यम,
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1982

संकल्प

सं. हिन्दी/समिति/80/40/1—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 16-4-80, 28-2-81, 8-6-81, 4-7-81 और 21-12-81 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत गठित रेलवे हिन्दी शब्दावली समिति को तत्काल भंग करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडण सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

संकल्प

सं. हिन्दी/समिति/80/41/4—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 14-5-80, 15-7-80 और 29-10-81 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत गठित रेलवे हिन्दी पुस्तक चयन समिति को तत्काल भंग करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडण सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

संकल्प

सं. हिन्दी/समिति/82/38/11—भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 24-11-81 और 18-1-82 के संकल्प सं. हिन्दी/समिति/80/38/1 के अन्तर्गत गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति को तत्काल भंग करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडण सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

दिनांक 19 फरवरी 1982

संकल्प

सं. 80/टी. जी. 111/634/2/सी. एस.—रेल मंत्रालय के 10-2-1981 के संकल्प सं. 80/टी. जी. 111/634/2/सी एस के अन्तर्गत गठित की गयी राष्ट्रीय रेलवे खान पान परामर्श को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

हिम्मत सिंह
सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 19th January 1982

RESOLUTION

No. W-11036/13/75-Grants.—The Government of India consider that the Health Minister's Charity Fund (later designated as Health Minister's Welfare Fund) which was constituted in 1951, under the Ministry of Health to render help to medical institutions in distress and individuals in need of medical aid may no longer be administered by the Government of India but transferred to the Tuberculosis Association of India for ultimate use by Lala Ram Swarup T. B. Hospital, Mehrauli, Delhi for whom donations in the Fund were received. The Government of India have, therefore, resolved to close this fund. The balance in the account of fund will stand transferred to T. B. Association of India, New Delhi.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. R. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th January 1982

No. 5-63/81-Manures (Biogas).—With a view to harness the vast potential for production of bio-gas in the country, and to develop its use on a large scale in order to augument the availability of organic manures and fuel, the Government have launched a National Project on Biogas Development in the current Five Year Plan. The Project, *inter-alia* provides the following incentives :—

(i) subsidy to beneficiaries;

(ii) fee to corporate bodies/registered societies for turnkey jobs;

(iii) incentives to village level functionaries;

(iv) organisational support to States; and

(v) training support.

2. The Project with an outlay of Rs. 50.00 crores, envisages setting up of 4 lakh biogas units in the country during the Six Plan period.

3. The Government have decided to set up a high level Standing Committee, in the Union Ministry of Agriculture with the following constitution, to provide the necessary guidance and direction for the implementation of the programme for Biogas development.

4. CONSTITUTION

1. Secretary (A&C), Ministry of Agriculutre	—Chairman
2. Secretary (Expenditure), Minisrty of Finance.	—Member
3. Secretary, Ministry of Rural Reconstruction.	—Member
4. Secretary, Ministry of Science & Technology.	—Membre
5. Secretary, Department of Africultural Research and Education, Ministry of Agriculture.	—Member
6. Secretary, Ministry of Energy.	—Member
7. Adviser (Agriculture), Planning Commission.	—Member
8. Financial Adviser, Deptt. of Agri. & Coop.	—Member
9. Jt. Secretary. (F&M). Deptt. of Agri. & Coop.	—Member
10. Commissioner (FP). Deptt. of Agri. & Coop.	—Convener

5. FUNCTIONS OF THE COMMITTEE.

(i) To evolve and formulate policies and programmes for Biogas development in the country.

(ii) To direct, guide and oversee the implementation of the Biogas Programme in the country in general, and supervise and provide necessary guidance for the effective implementation of the various components of the National Project for Biogas Development.

(iii) To make recommendations regarding additions or modifications, if any, in the policies, procedures, programme content, pattern of assistance, etc. of the National Project for Biogas Development.

(iv) To assess the operation/progress of the Project from time to time.

(v) To suggest measures to facilitate coordination of various activities and programmes for the furtherance of biogas development.

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered by it, or referred to it by the Central/State Governments for advice.

6. POWERS.

The Committee shall have the following powers :—

(a) To call for any information/data/report regarding the National Project for Biogas Development or other programmes for the development of biogas.

(b) To set up Sub-Committees or Groups technical or otherwise to look into, examine and make recommendations on the specific issues referred to them by the main Committee.

(c) It shall also have powers to co-opt members or invite persons, representatives of various Departments, or special interests, technical bodies, as and when considered necessary for specific purposes.

(d) To decide about the place, date and periodicity of its meetings or those of Sub-Committees, Groups, etc., set up by it,

(e) The Committee will continue to function until it is abolished, substituted or replaced by the Central Govrenment.

7. The Secretariat for the Committee shall be provided by the Department of Agriculture & Cooperation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of Indin for general information.

G. S. VIDYARTHY, Jt. Secy. (F&M).

New Delhi, the 18th February 1982

RESOLUTION

No. 2-33/81-H.N.—Government of India, Ministry of Agriculture, have decided to reconstitute Krishi Mantralaya Hindi Salahkar Samiti.

The Samiti will consist of :

1. Union Minister of Agriculture, Rural Reconstruction and Civil Supplies.	Chairman
2. Minister of State for Agri. & R. R. (Shri R. V. Swaminathan)	Vice Chairman
3. Minister of State for Agri. & R.R. (Shri Baleshwar Ram)	Vice Cahirman
4 Deputy Minister of Agri. & R. R. (Km. Kamla Kumari)	Member
Members of Lok Sabha	
5. Shri Hakam Singh	Member
6. Shri Ramsaroop Ram	Member
Members of Rajya Sabha	
7. Shri K. N. Joshi	Member

8. Shri Hukam Deo Narayan Yadav — Member

Representatives of Committee of Parliament on Official Language

8. Shri Nathu Ram Mirdha — Member
10. Shri Narsingh Makwana — Member

Representatives of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

11. Chairman, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad (ex-officio).

Representatives of various voluntary Hindi Organisations

12. Dr. Raj Kishore Pandey, Secretary, Hindi Parchar Sabha, Hyderabad (Rep. of Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh).
13. Shri Shankar Rao Londhe, Secretary, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha.
14. Shri Sudhakar Pandey, Genl. Secretary, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.

Non-official Members

15. Dr. Mahip Singh, Hindi Department, Khalsa College, Delhi.
16. Dr. Mannu Lal Yadu, Hindi Department, Raipur University Toori Hatri, Raipur, M.P.
17. Shri Yatindra Bhatnagar, Chief of Bureau, "Hindustan"
18. Shri Anand Jain, Editor, "Navabharat Times"
19. Shri Jal Banshi Jha Shastri, Chief Sub-Editor, "Hindustan Samachar"
20. Dr. N Raman Nayar, Prof. and Head of Hindi Department, Cochin University, Cochin-682022.
21. Shri Ramanath Shukla, Retired Officer, Ministry of Finance, Allahabad.
22. Shri Asha Ram, Prof. Department of Political Science, Manipur University.

Official Members

23. Secretary, Department of Agri. & Coop.
24. Secretary, Department of Agricultural Research and Education.
25. Secretary, Department of Food.
26. Secretary, Department of Official Language,
27. Inspector General of Forest, ex-officio Addl. Secy.
28. Additional Secretary, Department of Food.
29. Jt. Secretary (Admn.) Department of Agri. Research and Education.
30. Jt. Secretary, Department of Official Language.
31. Jt. Secretary (Admn.) Department of Agri. & Co-operation. —Member Secretary.

FUNCTIONS :

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry of Agriculture and its attached and subordinate offices/autonomous bodies, Companies/Corporations etc. on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes and on matters ancilliary and incidental thereto within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs.

The terms of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :

(a) a member who is member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation death etc. of a member, the member appointed on that vacancy shall hold office for the residual period of the term of three years.

The Committee may adopt additional members and invite experts to attend its meetings as may be necessary from time to itme.

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

This supersedes this Ministry's Resolutions issued earlier in this connection.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations Prime Minister Sectt., Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President Sectt., Vice President Sectt. Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, Chief Pay and Accounts Officer, Ministry of Agriculture, All Offices of the Ministry of Agriculture and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M R BHARDWAJ, Jt. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

AMENDMENT TO THE RESOLUTION REGARDING CONSTITUTION OF A COMMITTEE ON THE STRATEGY FOR FULL EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

New Delhi, the 19th February 1982

AMENDMENT TO THE RESOLUTION

No. M-25011/14/81-RME.—The Government of India have decided to make the following amendment in its Resolution of even number dated 28th December 1981.

In place of	*Substitute the following*
3. Additional Secretary, Ministry of Labour	Director General Employment and Training, Ministry of Labour.

ORDERS

(1) ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

(2) ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. K. KAW, Jt. Commissioner (Training).

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 30th January 1982

RESOLUTION

Subject :—Setting up of a Task Force to consider restructuring of the National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi.

No. F.1-73/81-School.4.—The Public Accounts Committee (Seventh Lok Sabha), in their 48th Report, have recommended that a Task Force, consisting of the representatives of the Ministry of Education & Culture, the National Council of Educational Research and Training (NCERT), and some eminent educationists should be set up expeditiously to consider within a stipulated period of time, the urgent problem of restructuring of the NCERT to restore to it the dynamic, creative and nationally useful role of effectively helping the educational system of our federal democratic republic.

2. In pursuance of this recommendation of the Public Accounts Committee, the Government of India in the Ministry of Education & Culture have decided to set up a Task Force with the following terms of reference :—

(i) A critical assessment of the role performed by NCERT in terms of the long and short term objectives laid down for it in its Memorandum of Association.

(ii) To review the recommendations made by earlier committees, notably the ones named by the Public Accounts Committee, with a view to determine their relevance and significance for the Council's further development.

(iii) To suggest an optimal organisational structure for the Council with a view to enabling it to meet the emerging challenges of future educational development in school education, particularly from the point of view of improving its efficiency and productivity.

(iv) In the light of the above, to suggest the overall management and decision making structures and processes for the Council.

3. The composition of the Task Force will be as under :

Chairman

(i) Dr (Smt.) Madhuri R. Shah,
Chairman,
University Grants Commission.

Members

(ii) Dr. V. G. Kulkarni,
Project Director,
Tata Institute of Fundamental-Research, Homi Bhabha Centre for Science Education,
Bombay.

(iii) Prof. Satya Bhushan,
Vice-Chancellor,
Jammu University,
Jammu Tavi.

(iv) Shri P. K. Umashanker,
Education Commissioner,
Government of Kerala,
Trivandrum.

(v) Dr. Shib K. Mitra,
Director,
N.C.E.R.T.

Member Secretary

(vi) Joint Secretary (Schools),
Ministry of Education & Culture,
(Department of Education),

4. The Task Force will devise its own procedures of work. The Task Force will be required to submit its report within six months from the date it commences its work.

5. The NCERT will provide the Secretariat to the Task Force. Expenditure incurred in connection with the Task Force's work will also be met out of NCERT's budget.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be sent to all State Governments and Union Territory Administrations and all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th February 1982

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/80/40|1.—The Government of India have decided to dissolve, with immediate effect, the Railway Hindi Shabdawali Samiti constituted under the Ministry of Railway's Resolution of even No. dated 16-4-80, 28-2-81, 8-6-81, 4-7-81 and 21-12-81.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/80/41|4.—The Government of India have decided to dissolve, with immediate effect, the Railway Hindi Pustak Chayan Samiti, constituted under the Ministry of Railway's Resolution of even No. dated 14-5-80, 15-7-80 and 29-12-81.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/82/28/11.—The Government of India have decided to dissolve, with immediate effect, the Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under the Ministry of Railway's Resolution No. Hindi/Samiti/80/38|1, dated 24-11-81 and 18-1-82.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 19th February 1982

RESOLUTION

No. 80/TG-III/634/2/CS.—The National Railway Catering Consultative Council constituted under the Ministry of Railways' resolution No. 80/TG-III/634/2/CS dated 10th February 1981 stands dissolved with immediate effect.

HIMMAT SINGH,
Secy. Railway Board
& Ex-Officio Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982